

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र० लखनऊ
पत्रांक-- 7423 / 14-10-4, लखनऊ, दिनांक: 24-4-2015।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:-

महोदय,
निवेदन है कि उक्त विषयक प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक ~~सीतापुर~~ के पत्रांक- 4953/14-1 दि० 23-4-15 द्वारा प्राप्त हुआ है जिसे संस्तुति सहित 3 प्रति में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है प्रस्ताव के साथ आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र/वचनवद्धता आदि संलग्न है। अतः निवेदन है कि अग्रेत्तर कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

संलग्नक-एक्नोलिजमेन्ट स्लिप सहित।

भवदीया,



मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक / उक्तदिनांककित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, बसा० वा० सीतापुरको उपरोक्त पत्रांक के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० द्वारा उपरोक्त विषयक मामले में यदि कोई अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते है तो तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक,

लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर

पत्रांक: 4953/147

दिनांक: सीतापुर, 23-4-2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय: जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कमलापुर तथा बरई जलालपुर स्टेशनों के मध्य पुल सं०-84 के निर्माण हेतु 0.85 हे० आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: आपका पत्रांक 6233/14-10-4 दिनांक 16.03.15 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, द्वारा लगायी गयी आपत्तियाँ दिनांक 21.04.15

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव ऑन लाइन कर दिया गया है तथा प्रस्ताव की चार-चार प्रतियाँ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(50पी० त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांक: / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित-

- (1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- (2) रेल विकास निगम लिमिटेड, प्रथम तल, पर्यटन भवन, सी-13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(50पी० त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

Application for prior approval of Central
Government under Section - 2 of the
Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion
of fresh Forest area

| | |
|--------------------------|---|
| Name of the Project | Lucknow-Pilibhit Gauge Conversion via Sitapur and Lakhimpur (Bridge No. 84 between Kamlapur and Barai Jalapur) |
| User Agency | Rail Vikas Nigam Limited, Lucknow |
| Official to be contacted | Shri Ramesh Kumar Project Manager Mobile: 9792839839 |

Rail Vikas Nigam Limited.
(A Govt. of India Enterprises)
Corporate office : 1 Floor, 'B' Block
August Krauti Bhawan, Bhikaji Cama Place
New Delhi-110066

No. RVNL/PO-LKO/LTN-PBE/FOREST/39/4

Dated- 16.9.2014

V. K. Pandey,
Addl. Genl Manager (Projects)
Rail Vikas Nigam Limited.
1st Floor, Paryatan Bhawan
Vipin Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010

Sub: Authorization for submission of application for division of Forest Land in
Lucknow- Pilibhit Gauge Conversion project.

In terms of Railway Board's Letter No. RB/2004/W-1/RVNL/13-pt III Dated 18 4
2011, the Lucknow- Pilibhit Gauge Conversion project has been entrusted to RVNL for
execution. You are authorized to submit the application for division of Forest Land, wherever
required, on behalf of RVNL.


(Surendra Kumar)
Executive Director (HQ)
RVNL, New Delhi


सुरेंद्र कुमार / Surendra Kumar
कार्यकारी निदेशक (मेट्रो) / Executive Director (Metro)
रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार का स्वामि) / (A Govt. of India Enterprise)
नई दिल्ली-110066 / New Delhi-110066

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

- (i). Proposal No. : FP/UP/RAIL/7218/2014
- (ii). Name of Project for which Forest Land is required : Luknow Pilibhit Gauge Conversion via Sitapur and Lakhimpur
- (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : To serve the project, a new bridge is to be constructed 12 Metre away from the old bridge. It will necessitate the laying of tracks on new alignment on Railway land measuring 0.85 Ha having 121 trees planted by the Railway. The diversion of this land is required for Non-Forestry purpose.

(iv). State : Uttar Pradesh

(v). Category of the Project : Railway

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 92701

(viii). Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 0.85

(ix). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 99

A-2. Details of User Agency

- (i). Name : RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
- (ii). Address1 : 1st Floor Paryatan Bhawan, C-13 Vipin Khand, Gomti Nagar

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttar Pradesh

(v). District : Lucknow

(vi). Pin : 226010

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : vkpandey096@gmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 4029366

(x). Fax No. : NIL

(xi). Mobile No. : 8400902270

(xii). Website (if any) : www.rvnl.org

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past : No

(xiv). Legal status of User Agency : Central PSU

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: VINAY

(ii). Middle Name: KRISHNA

(iii). Last Name: PANDEY

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Additional General Manager (P)

(vi). Address 1: 1st Floor Paryatan Bhawan, C-13 Vipin Khand, Gomti Nagar

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttar Pradesh

(ix). District: Lucknow

(x). Tehsil: Lucknow

(xi). Pin: 226010

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: vkpandey096@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 4029366

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 8400902270

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: Annexure U.A Document

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past? : No

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

| Details of Divisions involved | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| S.no | Division Name | Non-Forest Land(ha.) |
| 1. | Social Forestry Division Sitapur | 0 |

B-2.2 Details of Districts involved

| District wise breakup | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| S.no | District Name | Non-Forest Land(ha.) |
| 1. | Sitapur | 0 |

B-2.3 Village wise breakup

| Villages wise breakup | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| S.no | Village | Non-Forest Land(ha.) |
| 1 | Daudpur PF under Sidhauili Range | 0 |
| 2 | Sarwarpur PF under Sitapur Range | 0 |

B-2.4 Component wise breakup

| Component wise breakup | | |
|------------------------|--|----------------------|
| S.no | Component | Non-Forest Land(ha.) |
| 1 | Daudpur on RHS of Railway track on Lucknow End | 0 |
| 2 | Sarwarpur on RHS of Railway track on Sitapur End | 0 |

C. Maps of forest land proposed to be diverted

| |
|--|
| Division 1. : Social Forestry Division Sitapur |
|--|

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 0.85

(ii). : Linear

(b). No. of Segments : One

| Segment wise details | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Segments | Segment Area (in ha.) | Kml File of Segments |
| 1. | 0.85 | Annexure_Segment1 |

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: Annexure_Survey of India Toposheet

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: Annexure_Justification

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: No

(a). Reason for not providing such map: Because there is no other alternative

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ? : No

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: NIL

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted? : NIL

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: NIL

Additional information Details


| Documents | | |
|-----------|-----------|---------|
| S.No | Documents | Remarks |
| NIL | | |

KML File Patch of Bridge No. 84

Write a description for your map.

Legend

-  Bridge No. 84
-  Feature 1
-  Sultanpur Kamacha



Google earth

© 2015 Google
Image © 2015 CNES/Astrium



1000 ft



निर्यात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

No. G44C15

Scale 1:50,000

| | | |
|--|---|--|
| G44C10 (63 A / 10) | G44C14 (63 A / 14) | G44D2 (63 E / 2) |
| G44C11 (63 A / 11) | Sitapur UTTAR PRADESH G44C15 (63 A / 15) | G44D3 (63 E / 3) |
| Hardoi UTTAR PRADESH G44C12 (63 A / 12) | G44C16 (63 A / 16) Lucknow UTTAR PRADESH | Bāra Banka UTTAR PRADESH G44D4 (63 E / 4) |

Kheri, UTTAR PRADESH.
Unāo, UTTAR PRADESH.


नीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

Edition 2009.

Price : Rs. 50 / -


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर



SITE MAP OF PROPOSED CONSTRUCTION OF BRIDGE NO-84 WITH DIVERSION LINE, SITAPUR

Prepared by: 



Legend

-  GPS Coordinates of the River Bank
-  GPS Coordinates of the Railway Track
-  River Bank
-  T.O.E. Line of Diversion
-  Centre Line of the Existing Railway Track
-  Centre Line of the Proposed Railway Track
-  Existing R.O.W
-  Proposed R.O.W
-  Forest Area Falling in Proposed R.O.W.
-  Forest Land for Non Forestry Purpose

Prepared by



Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
 (Dept. of Science & Technology, Govt. of U.P.)
 Sector-G, Jankipuram, Kanpur Road
 Lucknow-226 021

Note: Map based on GPS Coordinates and measurements given in the drawing provided by Divisional Director, Social Forestry Division, Sitapur.



रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited

(A Govt. of India Enterprise)

Plot No. P-1, Sector-1, Gurgaon, Haryana
Phone: 0122-4079261 Fax: 0122-4101717 E-mail: enquiry@rvnl.com

Dated: 25.11.2014

Sub: Justification for locating the project on the Forest Land

The existing Metre Gauge Line from Lucknow to Sitapur passes through the Forest Area between Kamlapur and Barai Jalalpur stations of Lucknow Division of North Eastern Railway in the district of Sitapur. At Km 68/14-15 between these stations, a major bridge of 61 Metre length is existing. It has been constructed about 100-150 years ago and is surrounded by Daudpur Protected Forest. It can not take the load of Broad Gauge trains. Hence, a new bridge will have to be constructed in its replacement to suit the Broad Gauge trains. It will be constructed at a distance of about 12 Metre from the existing bridge on upstream side. It will be connected with the new track at designed distances on Lucknow End and Sitapur End to have smooth curvature. Due to this reason, its construction outside the Forest Land is un-avoidable. It will have to be constructed on the Forest Land.

(VK Pandey)

Addl Genl Manager (Projects)

Mobile: 8400902070

E-mail id: vkpandey096@gmail.com

82

Acknowledgement Slip

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given below along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Uttar Pradesh on **11.12.2014**

1. Proposal No. : FP/UP/RAIL/7218/2014
2. Proposal Name : Luknow Pilibhit Gauge Conversion via Sitapur and Lakhimpur
3. Category of the Proposal : Railway
4. Date of Submission : 11.12.2014
5. Name of the User Agency with Contact Details

Name : VINAY
Mobile No. : 8400902270
State : Uttar Pradesh
District : Lucknow
Pincode : 226010
6. Area Applied (ha.) : 0.85

11/12/14
↑
Receipt Clerk


Divisional Director
Social Forestry Division
Sitapur

Acknowledgement Slip

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given below along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Uttar Pradesh on 11.12.2014

1. Proposal No. : FP/UP/RAIL/7218/2014
2. Proposal Name : Luknow Pilibhit Gauge Conversion via Sitapur and Lakhimpur
3. Category of the Proposal : Railway
4. Date of Submission : 11.12.2014
5. Name of the User Agency with Contact Details
Name : VINAY
Mobile No. : 8400902270
State : Uttar Pradesh
District : Lucknow
Pincode : 226010
6. Area Applied (ha.) : 0.85

District Magistrate
Sitapur District
Sitapur



PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UP-010/2014

1. Location of the project/Scheme : Uttar Pradesh

(i)

State / Union Territory : Uttar Pradesh

(ii)

District : Sitapur

(iii)

Forest Division : Social Forestry Division Sitapur

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 0.85

(v)

Category : Railway

2. Legal status of forest land proposed for diversion

| S. No. | Division | Forest Land (ha.) | Legal Status |
|--------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Social Forestry Division Sitapur | 0.85 | Reserved Forest |

Division 1. : Social Forestry Division Sitapur

3. District wise area to be diverted in the division

| S. No. | District | Area (ha.) |
|--------|----------|------------|
| 1 | Sitapur | 0.85 |

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

(ii)

Density of vegetation

| S. No. | Area (in ha.) | Density | Eco-Class |
|--------|---------------|---------|-----------|
| 1 | 0.85 | 0.1 | Eco 3 |

| S. No. | Scientific Name | Local Name | (31-60)cm. | (61-90)cm. | (91-120)cm. | (121-150)cm. | (>150)cm. |
|--------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 1 | Butea Monosperma | Dhak | 1 | 18 | 10 | 4 | 1 |
| 2 | Holoptelia integrifolia | Chilbil | 5 | 26 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | Bombax Ceiba | Semal | | 1 | 1 | | 2 |
| 4 | Ficus Religiosa | Peepal | | | | | 2 |
| 5 | Albezia Labbeck | Siras | | 2 | 1 | | 1 |
| 6 | Dalburgia Sisoo | Sheesham | | | 1 | | 3 |
| 7 | Ailanthus excelsa | Arand | | 1 | | | |

| | | | | |
|---|--|--------|---|---|
| 8 | Teak | Sagaun | 1 | |
| 9 | Misc. Species Kuthumbar, Sohariya, Kaitha, Goolar Kankohari & Dahigala | | 7 | 8 |
| | | | | 5 |
| | | | | 6 |

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : -

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : No erosion pro-zone

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : NIL

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Not involved.
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

(i).

Total Financial Outlay for C.A(lacs): 54.95794

| Patch Wise Details | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|-----------------------------------|
| S.no | Patch No. | Area(ha.) | Name of PF/RF | Range | Compartment No | Uploaded KML file of patch |
| 1 | 1 | 0.24084 | RF | Sidhaulti | Daudpur on RHS of Railway track | KML file of patch |
| 2 | 2 | 0.60674 | RF | Sitapur | Sarwarpur on RHS of Railway track on sitapur | KML file of patch |

(ii).

Copy of CA scheme details: [Annexure CA](#)

(iii).

Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: Annexure Scanned copy of the Geo-referenced map (iv).

Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: Annexure Survey of India Toposheet

14. District Profile

| S.no | District Name | Geographical area of the district (in ha.) | Forest area of the district (in ha.) | Total forest area diverted since 1980 (in ha.) | No. of Approved Cases | Forest Land including penal C.A. (in ha.) | Progress of compensatory afforestation as on (date) | A) Forest land (in ha.) | B) Non-forest land (in ha.) |
|------|---------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Sitapur | 571284 | 4991.17 | 127.8465 | 19 | 119.20 | 04/02/2015 | 119.20 | 58.3728 |

15.

Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

| Division Name | Circle | Site inspected By | Whether site inspected | No. of times site visited | Site inspection report | Date of visit |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Social Forestry Division Sitapur | Lucknow Circle Lucknow | DFO | Yes | One | <u>Site Inspection Report</u> | 04/02/2015 |
| | Lucknow Circle Lucknow | CF | No | | No Data | |

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))

16.

Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

| Division | Circle | Recommendation By | Recommendation | Reason | Letter | Whether CF agreed |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Social Forestry Division Sitapur | Lucknow Circle Lucknow | DFO | Recommended | Recommended for approval | <u>Recommendation letter</u> | |
| | Lucknow Circle Lucknow | CF | Recommended | | <u>Recommendation letter</u> | Yes |

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर
पत्रांक: 4953/14-1

दिनांक: सीतापुर, 23-4-2015

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय: जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कमलापुर तथा बरई जलालपुर स्टेशनों के मध्य पुल सं0-84 के निर्माण हेतु 0.85 हे0 आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: आपका पत्रांक 6233/14-10-4 दिनांक 16.03.15 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, द्वारा लगायी गयी आपत्तियाँ दिनांक 21.04.15

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव ऑन लाइन कर दिया गया है तथा प्रस्ताव की चार-चार प्रतियाँ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ऽ0पी0 त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांक: / उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित-
(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) रेल विकास निगम लिमिटेड, प्रथम तल, पर्यटन भवन, सी-13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(ऽ0पी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

Sub: Reply to the observations of Nodal Officer on the application for prior approval of Central Government under Section - 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of fresh Forest area at bridge No. 84 between Kamlapur and Barai Jalalpur in the district of Sitapur.

| S. No. | Observation | Compliance |
|--------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | In S. No. 5 and 7, give details as required S. No. 5 Working plan prescription for the forest land proposed for diversion. S. No. 7 Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest (in km). | There is no working plan prescription for this land. It has, since, been recorded against Item 5 of Part-II. |
| 2 | In S. No. 8 (1), give the details of the wild life present in the area. | This distance is zero as the proposed site is in the heart of Daudpur Reserved Forest. It has, since, been recorded against Item 7(ix) of Part-2. There is no wild life present in this area. A certificate to this effect has, since, been annexed. |
| 3 | In S. No. 13, give the details of CA area identified like Geo-Reference Map, SOI Topo Sheet and KML File uploaded for plantation of 1190 trees. | An area of 14.72 Hectare has been identified in the Grave Yard on the Left Hand Side of the road between Khairabad Chungi and Alamo Fazle Haque Chauraha leading to Kasrela. The Geo-Reference Map, SOI Topo Sheet and KML File (Google Map) are enclosed herewith. The distance between this place and Gauria Paharpur Reserved Forest is 3.75 Kilometre. In its support, Forest and Administrative boundaries Map of Sitapur Social Forestry Division is enclosed herewith. This fact has, since, been recorded against Item 10 (i) of Part-2. |
| 4 | NPV Rates should be as per MOEF order. | NPV Rate has, since, been corrected to ₹ 6,26,000.00 per Hectare. |
| 5 | In Hard copies, enclose all the relevant documents, undertakings, maps. | In all, 13 Undertakings duly signed by the User Agency and the Divl Director, Social Forestry Division, Sitapur are enclosed herewith. Additionally, all the relevant documents and Maps are also enclosed herewith. |


 प्रभागाय निदेशक
 आवाजिक वाणिजी वन प्रशास
 सीतापुर

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०:
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग-2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

| क्र० | मद | विवरण |
|--------|---|--|
| 7. | परियोजना विवरण- | जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बरई जलालपुर तथा कमलापुर के मध्य ब्रिज सं०-84 के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में। |
| (i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तर प्रदेश। |
| (ii) | जिला | सीतापुर। |
| (iii) | वन प्रभाग | सीतापुर वन प्रभाग। |
| (iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का वन क्षेत्र (हेक्टेअर में) | 0.85 हे०। |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | आरक्षित वन भूमि। |
| (vi) | हरियाली का घनत्व | 0.1 |
| (vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय), सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर०एल०एफ०, आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किए जाय) | संलग्न है। |
| (viii) | भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | भू-क्षरण नहीं है। |
| (ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से दूरी शून्य है। |
| (x) | क्या फॉर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वॉर्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय) | नहीं है। |

| | | |
|-------|--|---|
| (xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं। |
| (xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरतत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। | नहीं। |
| 8 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जाँचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार सन्तुत क्षेत्र क्या है? | हाँ, न्यूनतम है। |
| 9 | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं? | नहीं। |
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा- | |
| (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार। | 1. खैराबाद चुंगी तथा अल्मो फजले हक चौराहे के बीच में बाएं तरफ स्थित कब्रिस्तान। 2. गौरिया आरक्षित वन से दूरी 3.75 कि०मी०। 3. एक, भूखण्ड टेढ़ा-मेढ़ा है। |
| (ii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र एवं आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | संलग्न है। |
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण (क्रियान्वयक एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि) | संलग्न है। |
| (iv) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन०पी०वी०) | 1. प्रभावित 0.85 हे० के दो गुने अर्थात् 1.7 हे० अवनत वन भूमि में रोपण हेतु रु० 196820/- प्रति हे० की दर से रु० 334594/- व्यय आएगा। 2. प्रभावित 119 वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 1190 पौधों के ब्रिक गार्ड रोपण हेतु रु० 3680 प्रति ब्रिक गार्ड की दर से रु० 4379200/- व्यय आएगा। |

| | | |
|-------|---|---|
| | | 3. प्रभावित 0.85 हे० की एन०पी०वी० रु० 6,26,000 प्रति हे० की दर से रु० 5,32,100/- का व्यय आएगा। 4. कुल धनराशि रु० 52,45,894/- (रुपया बावन हजार पैंतालीस हजार आठ सौ चौरान्बे मात्र)। |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) | संलग्न है। |
| 11 | उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विशेषतः उपयुक्त कॉलम-7 व 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें। | संलग्न है। |
| 12 | विभाग/जिला प्रोफाइल- | सीतापुर। |
| (i) | जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल | 571284.00 हे० |
| (ii) | जिले का वन क्षेत्र | 4991.17 हे०। |
| (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र | मामलों की संख्या-23 127.8465 हे०। |
| (iv) | 1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण- | |
| | (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | 119.20 हे०। |
| | (ख) वनेत्तर भूमि पर | 58.728 हे०। |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति- | |
| | (क) वन भूमि पर | 119.20 हे०। |
| | (ख) वनेत्तर भूमि पर | 58.728 हे०। |
| | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें। | जनहित एवं विकास कार्यों हेतु संस्तुति की जाती है। |

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम:
सरकारी मोहर:


क्षेत्रीय वनाधिकारी
सिधौली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
सीतापुर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सीतापुर

भाग. 3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

| | | |
|----|---|--|
| 14 | स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | जैसे |
| 15 | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। | हाँ, |
| 16 | प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। | अन्यत्र के कार्य के लिए संसुद्धि की जाती है। |

तिथि- 4-3-15
स्थान- टारखामंड

हस्ताक्षर:

नाम:

सरकारी मोहर


देवा शर्मा
मुख्य वन संरक्षक
संरक्षक मण्डल, 3080, सखाराम

भाग-4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

| क्र० | मद्द | विवरण |
|------|---|-------|
| 17 | टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय व विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय) | |

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम:

सरकारी मोहर:

भाग-5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी, जो अवर सचिव के पद के नीचे न हों, द्वारा भरा जाना है)

| क्र० | मद | विवरण |
|------|------------------------|-------|
| 18 | राज्य सरकार की सिफारिश | |

(उपर्युक्त भाग-‘ख’ या भाग-‘ग’ या भाग-‘घ’ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय।)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम:

सरकारी मोहर:

**SITE INSPECTION REPORT (NOT BWLOW THE RANK OF DCF)
(For the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by the Rail Vikas Nigam Limited for diversion (Under FCA-1980) of 0.85 Hectare Reserve Forest Land for Non-Forestry purpose. The Project envisaged the use of forest land for change the Bridge on diversion at Km. 68/14-15 between Kamlapur and Barai Jalalpur-Railway Station. The site inspection of the land involved in the Proposal has been done by me on dated 04.02.2015

On inpection of the site, 119 No. of trees at the said land are affected. Land required by the use agency is forest land declared under section-29 of Indian Forest Act, 1927 vide Notification No. 104 (2)/XIV-2-503-77 dated May 09, 1977 published in U.P. Gazette, Part-I, dated 28th May 1977, P-1734 measuring 0.85 Ha. the requirement of forest land as proposed by the user agency in Column-2 Part-1 is unavoidable and is forest minimum required for the project.

Whether any rare/endangerd/unique species of flora and fauna are found in the area, if so, the details there of. **N.A.**

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other monument is located in the area. If so, the details there of with NOC from fompetent authority if required. **No**

(a) The user agency has not violated the provision for the Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes**

(b) It has been found that the user agency had violated the forest (Conservation) Act, 1980 provision. A detail report as per Para-1.9 of Chapter-1 Part-C of Hand Book of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **N.A.**

Specific recommendation for acceptance of outhewise of the proposal-Acceptanc of the proposal is recommended.



**Divisional Director
Social Forestry Division
Sitapur**

Place: Sitapur

Date: 4-2-15

- State of the purpose for which the forest land is proposed to diverted.
- Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

परिषिष्ट-1

प्रभावित वन भूमि का विवरण

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

उक्त कार्य हेतु आरक्षित वन क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.2.2015 को किया गया। इस कार्य से सम्बन्धित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्रम संख्या | रेज का नाम | मार्ग का नाम | प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का विवरण | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | वृक्षों की संख्या |
|---------------|------------|--|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | सिधौली | कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल लाइन | कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल लाइन के दायीं ओर स्थित दाऊदपुर आरक्षित वन क्षेत्र में | 2408.91 | 12 |
| 2 | सीतापुर | कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल लाइन | कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल लाइन के दायीं ओर स्थित सरवरपुर आरक्षित वन क्षेत्र में | 6067.41 | 107 |
| कुल क्षेत्रफल | | | | 8476.32 वर्ग मीटर | |
| | | | | 0.85 हेक्टेयर | |


वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिधौली (सीतापुर)

स्थल संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमन परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण हेतु स्थल का संयुक्त निरीक्षण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती हैं। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित आरक्षित 0.85 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिबीसी (सीतापुर)


क्षेत्रीय अधिकारी
सीतापुर

परिषिष्ट-3

डाइवर्सन सहित पुल के निर्माण में बाधक वृक्षों का प्रजातिवार / श्रेणीवार मूल्यांकन

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 के निर्माण में बाधक वृक्षों की सूची

| क्रम संख्या | प्रजाति एवं वानस्पतिक नाम | व्यास वर्ग | वृक्षों की संख्या | मूल्यांकन (रूपये) |
|-------------|--|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Dhak (Butea Monosperma) | 31 - 60 Cm 61 - 90 Cm 91 - 120 Cm 121 - 150 Cm > 150 Cm | 1 18 10 4 1 | ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 2 | Chilbil (Holoptelia Integrifolia) | 31 - 60 Cm 61 - 90 Cm 91 - 120 Cm 121 - 150 Cm > 150 Cm | 5 26 5 3 4 | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 3 | Semal (Bombax Ceiba) | 61 - 90 Cm 91 - 120 Cm > 150 Cm | 1 1 2 | ↓ ↓ ↓ |
| 4 | Peepal (Ficus Religiosa) | > 150 Cm | 2 | ↓ |
| 5 | Siras (Albezzia Labbeck) | > 150 Cm 61 - 90 Cm 91 - 120 Cm > 150 Cm | 2 2 1 1 | ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 6 | Sheesham (Dalburgia Sisoo) | 91 - 120 Cm > 150 Cm | 1 3 | ↓ ↓ |
| 7 | Arand (Ailanthus Excelsa) | 61 - 90 Cm | 1 | ↓ |
| 8 | Sagaun (Teak) | 61 - 90 Cm | 1 | ↓ |
| 9 | Kuthumbar, Soharia, Kaitha, Goolar, Kankohari and Dahigala (Miscellaneous Species) | 61 - 90 Cm 91 - 120 Cm 121 - 150 Cm > 150 Cm | 7 8 5 6 | ↓ ↓ ↓ ↓ |
| Total | | | 119 | 1,20,526.00 |


 वन अधिकारी
 सीतापुर

वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
 पूर्वोत्तर रेलवे
 लखनऊ


 वन अधिकारी
 सीतापुर


 वन अधिकारी
 सीतापुर

परिशिष्ट-4


लाभान्वित होने वाली आबादी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुल के निर्माणोपरान्त परिक्षेत्र में जनता / कृषक बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे।


04.04.15
वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


राष्ट्रीय निदेशक
राष्ट्रीय वनिकी वन प्रभाग
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर (सीतापुर)

वनीकरण की वचन बद्धता प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 के निर्माण में बाधक, जितने आरक्षित वृक्षों का पातन होगा, उनके प्रतिपूरक वनीकरण हेतु, जो धनराशि अभिनिर्धारित की जायेगी, उसका भुगतान करने के लिये प्रयोक्ता एजेन्सी वचनबद्ध है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त निर्माण से न्यूनतम वृक्ष ही प्रभावित हो रहे है।


04.04.15
वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ


इय्यागीय निदेशक
आयामाजिक वानिकी तथा वनाध्यक्ष
सीतापुर

परिषिष्ट-6


निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि वन सीमा के अन्तर्गत उक्त पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।


04.04.15
वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


सामाजिक वारिकी वन प्रशासक
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिबीली (सीतापुर)

परिशिष्ट-7

न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुल के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वांछित भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।


04.06.15
वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


क्षेत्रीय विभाग
वाणिज्यिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिबीसी (सीतापुर)

लीज तथा लीज अवधि प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु भूमि लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है अतः लीज अवधि प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। प्रश्नगत आरक्षित वन भूमि पर केवल निम्न दो बिन्दुओं पर अनुमति की आवश्यकता है:-

1- उक्त निर्माण में प्रस्तावित 0.85 हेक्टेयर आरक्षित वन पर बाधक 119 वृक्षों के पातन की अनुमति।

2- उक्त निर्माण में प्रस्तावित, जो आरक्षित वन है, उसके गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।


04.04.15

वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ


व्यवसाय निदेशक
व्यवसायिक वानिकी कक्ष प्रभाग
सीतापुर

परिशिष्ट-9

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य वन विभाग को देने का वचनबद्धता दी जाती है।


04.04.15

वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ


माननीय निदेशक
सामाजिक वार्तिकी वन प्रभाग
सीतापुर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीतापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत कमलापुर तथा बरई जलालपुर स्टेशनो के मध्य निर्मित होने वाले ब्रिज सं० 84 के सन्दर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खैराबाद स्थित ईदगाह, कब्रिस्तान, करबला स्थल, चयनित किया गया है जो वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध एवं उपयुक्त है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


प्रभागिय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सीतापुर।

आतिपुरक वनीकरण योजना

ऊसर वन भूमि वनीकरण

1. प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)

ऊसर क्षेत्रों में माह दिसम्बर से फरवरी तक $45 \times 45 \times 45$ सेमी0 साइज के गड्ढे खोदने के पश्चात् इनकी सतह के मध्य में यांत्रिक भू छेदक के द्वारा 20 सेमी0 व्यास व 75 सेमी0 गहरा गड्ढा बनाया जायेगा। ये गड्ढे पंक्तियों में आपसी अन्तराल क्रमशः $3 \text{ मी}0 \times 2 \text{ मी}0 \times 2 \text{ मी}0$ पर होंगे अर्थात् गड्ढों की पहली पंक्ति से 3 मी0 की दूसरी पंक्ति तथा उसके पश्चात् 2 और पंक्तियों 2-2 मीटर के अन्तराल पर बनायी जायेगी। इन पंक्तियों के पश्चात् अगली पंक्ति फिर 3 मीटर की दूरी पर तथा इसके पश्चात् पुनः अगली पंक्ति 2 मीटर की दूरी पर होगी यही प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ढंग से दुहराई जायेगी। पंक्तियों में गड्ढों की आपस की दूरी 2 मीटर होगी। इस प्रकार प्रति हे0 2000 गड्ढे खोदे जायेंगे।

क्षेत्र की सुरक्षा हेतु चारों ओर $1.20 \text{ मी}0 \times 0.90 \text{ मी}0 \times 1.00 \text{ मी}0$ साइज की 2 सुरक्षा खाई खोदी जायेगी। सुरक्षा खाई की मिट्टी अन्दर की तरफ एकत्र की जायेगी। एकत्रित मिट्टी के ऊपर 2 पंक्तियों में बबूल व प्रासपिस बीज का बुआन माह जून में किया जायेगा। उसरीली भूमि में वृक्षारोपण से पूर्व मिट्टी में मृदा सुधारक मिलाकर उपचार किया जाना आवश्यक है। मृदा सुधारक की मात्रा भूमि के पी0एच0 पर निर्भर करली है।

निम्न तालिका के अनुसार मृदा सुधारक का प्रयोग किया जायेगा:-

| पी0एच0 मान | जिप्सम की मात्रा (किग्रा में) | गेबर की मात्रा (किग्रा में) | बालू |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 8 से 8.5 | 2.0 | 5 | मृदा का 50 प्रतिशत |
| 8.5 से 9.5 | 2.5 | 5 | मृदा का 50 प्रतिशत |
| 9.5 से 10.0 | 3.0 | 5 | मृदा का 50 प्रतिशत |
| 10.0 से 10.5 | 4.0 | 5 | मृदा का 50 प्रतिशत |

उपरोक्त मात्र के अनुसार 15 जून तक मिट्टी में मृदा सुधारक मिलाकर गड्ढे पटाई का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। पौधों का उगान कार्य विभागीय पौधशालाओं में किया जायेगा।

2. द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण)

अच्छी वर्षा हो जाने के उपरान्त माह जुलाई-अगस्त में भूमि की दशा के अनुसार आम, नीम, इमली, बबूल, शीशम, प्रासपिस आदि प्रजातियों का रोपण किया जायेगा। वर्ष में 3 बार सिंचाई व 3 बार निराई गुड़ाई की जायेगी। वृक्षारोपण की देखरेख हेतु लगभग 5.0 हे0 क्षेत्र में एक पशुरक्षक रखा जायेगा। वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु बोरिंग की व्यवस्था की जायेगी। पौधों की कीटनाशक दवा का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3. तृतीय वर्ष (अनुरक्षण प्रथम वर्ष)

पौधों की निराई गुड़ाई व प्रतिमाह दो बार सिंचाई की जायेगी। पौधों की निराई गुड़ाई दो बार की जायेगी तथा सिंचाई प्रतिमाह दो बार की जायेगी। पशुरक्षक द्वारा पौधों की देखभाल की जायेगी।

4. चतुर्थ वर्ष (अनुरक्षण द्वितीय वर्ष)

असफल पौधों के स्थान पर दूसरे पौधे रोपित किये जायेंगे। पौधों की निराई गुड़ाई दो बार की जायेगी तथा सिंचाई प्रतिमाह दो बार की जायेगी। पशुरक्षक द्वारा पौधों की देखभाल की जायेगी।

5. पंचम वर्ष (अनुरक्षण तृतीय वर्ष)

असफल पौधों के स्थान पर दूसरे पौधे रोपित किये जायेंगे। पौधों की निराई गुड़ाई दो बार की जायेगी तथा सिंचाई प्रतिमाह दो बार की जायेगी। पशुरक्षक द्वारा पौधों की देखभाल की जायेगी।

6. षष्ठम वर्ष (अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष)

असफल पौधों के स्थान पर दूसरे पौधे रोपित किये जायेंगे। पौधों की निराई गुड़ाई दो बार की जायेगी तथा सिंचाई प्रतिमाह दो बार की जायेगी। पशुरक्षक द्वारा पौधों की देखभाल की जायेगी।

7. सप्तम वर्ष (अनुरक्षण पंचम वर्ष)

असफल पौधों के स्थान पर दूसरे पौधे रोपित किये जायेंगे। पौधों की निराई गुड़ाई दो बार की जायेगी तथा सिंचाई प्रतिमाह दो बार की जायेगी। पशुरक्षक द्वारा पौधों की देखभाल की जायेगी।

8. अष्टम वर्ष (अनुरक्षण षष्ठम वर्ष)

असफल पौधों के स्थान पर दूसरे पौधे रोपित किये जायेंगे। पौधों की निराई गुड़ाई दो बार की जायेगी तथा सिंचाई प्रतिमाह दो बार की जायेगी। पशुरक्षक द्वारा पौधों की देखभाल की जायेगी।

9. नवम वर्ष (अनुरक्षण सप्तम वर्ष)

असफल पौधों के स्थान पर दूसरे पौधे रोपित किये जायेंगे। पौधों की निराई गुड़ाई दो बार की जायेगी तथा सिंचाई प्रतिमाह दो बार की जायेगी। पशुरक्षक द्वारा पौधों की देखभाल की जायेगी।




उप प्रभागीय वनाधिकारी
सीतापुर / बिसवां।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सीतापुर


Land Proposed for Compensatory Afforestation in Khairabad Range, Sitapur Forest Division Sitapur District

For Official Use Only

Site for Compensatory Afforestation in Khairabad Range , Grave Yard on the Left Hand Side of the Road Between Khairabad Chungi and Alamo Fazle Haque Chauraha Leding to Kasrela Sitapur Forest Division , Sitapur district



Area: 14.72 ha



Legend

 GPS Coordinates

 Land for Compensatory Afforestation

S.A.
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिधौली (सीतापुर)


सुख
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिधौली (सीतापुर)

Prepared by



Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
(Dept. of Science & Technology, Govt. of U.P.)
Sector-G, Jnakiapuram, Kursi Road
Lucknow 226 021

Note: Map based on GPS Coordinates and measurements given in the Drawing provided by RE(Civil),RVNL / Divisonal Director, Social Forestry Division, Sitapur.



Ajampur

Google Map of Compensatory Afforestation

Area = 14.65 Ha

By-pass Jhousy

LLC Gate No. 71/A

To Khairabad Chungi

To Alamo Fazole Haque Chauraha



स्विस के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

**OPEN SERIES
MAP**

No. G44C10

Scale 1:50,000

| | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| G44C5 (83 A / 5) | Uttar Pradesh G44C9 (83 A / 9) | G44C13 (83 A / 13) |
| G44C6 (83 A / 6) | G44C10 (83 A / 10) | G44C14 (83 A / 14) |
| G44C7 (83 A / 7) | Uttar Pradesh G44C11 (83 A / 11) | G44C15 (83 A / 15) |

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

1st Edition, 2009. Price : Rs. 80 / -


SURVEY OF INDIA

CONVENTIONAL SYMBOLS


- Express highway with toll, with bridge with elevated viaduct
- Roads marked according to importance
- Roads, double carriageway, according to importance
- Unmetalled road, Cart-track, Path-track with pass, Foot-path
- Grounds, walled track in brick, unmetalled, Canal
- Dams; masonry or rock-filled; earthwork, Weir
- River, dry with water channel; with silted & reeds, Tidal river
- Submerged rocks, Shoal, Swamps, Reeds
- Wells: hand; unlined, Tube well, Spring, Tanks; perennial; dry
- Embankments: road or rail; banks, Broken ground
- Railways, broad gauge: double; single with station; under construction
- Railways, other gauges: double; single with station; under construction
- Mineral line or tramway, Tils, Cutting with tunnel
- Contours with subdivisions, Rocky, Spots, Cliffs
- Sand features: (10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m)
- Towns or villages: (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

भारतीय सर्वेक्षण विभाग



**क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर**



Forest and
 Administrative
 boundaries
 Map of Sitapur
 Social Forestry
 Division, Sitapur
 defining Gauria
 Panchayat, the nearest
 Reserved Forest from the
 proposed site for CA
 (Item No 10(I) of MPT-2)

63A/7


63A/11

63A/15

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीतापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत कमलापुर तथा बरई जलालपुर स्टेशनों के मध्य पुल सं० 84 के निर्माण स्थल में वनस्पति एवं प्राणी जगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिधौली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सीतापुर।

मानक शर्तें

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

(वन अनुभाग 3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 7314/14.3.980/82 दिनांक- 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

| | |
|----|--|
| 1 | भूमि हस्तान्तरण के बाद भी, उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी। |
| 2 | प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं। |
| 3 | याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग का किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा। |
| 4 | भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। |
| 5 | हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे। ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा। |
| 6 | भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा। |
| 7 | हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी। |
| 8 | बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी। |
| 9 | सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। |
| 10 | याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी। |


09.03.15

वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वात्तर रेलवे
लखनऊ

| | |
|----|--|
| 11 | सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण" के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाय कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है। |
| 12 | वन भूमि का मूल्य, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा। |
| 13 | वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया, जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा। |
| 14 | हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिफल में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 मीटर से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बॉज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा। |
| 15 | वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है। |
| 16 | यदि नहर आदि के निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करायेगा। |
| 17 | उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त, यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी। |
| 18 | वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय। |

मैं राजीव गुप्ता, वरीय मण्डल अभियन्ता (II), पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ एवं प्रयोक्ता ऐजेन्सी का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त शर्तें मान्य हैं।


04-06-15

वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ


परिशिष्ट—

वृक्षारोपण हेतु निर्धारित व्यय भुगतान का प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुल के निर्माण के दौरान, जितने वृक्षों का पातन होगा, उनकी क्षतिपूर्ति के लिय वन विभाग द्वारा पुनः वृक्षारोपण हेतु, जो व्यय निर्धारित किया जायेगा, उसका धारक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुल के निर्माण से न्यूनतम वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।


वरीय मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
भारत लखनऊ/ज्योनियर/द्वितीय
पूर्वोत्तर रेलवे, बदायक


भारतीय निदेशक
नामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर